रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा

नियमित जमानत आवेदन संख्या–140/2026

1. अंकित कुमार झा उम्र करीब 24 वर्ष
पिता–प्रेम मोहन झा,
साकिन– डीवरा, ब्राहमण टोली,थाना–नौहट्टा
जिला–सहरसा... आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार .... विपक्षी

नियमित जमानत आवेदन संख्या–141/2026

1. कृष्ण कुमार पिता–फुल रजक उम्र करीब 28 वर्ष
मुहल्ला– न्यु कॉलोनी, वार्ड नं.08,
थाना व जिला–सहरसा ....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार ....विपक्षी

01.04.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त अंकित कुमार झा एवं 2. कृष्ण कुमार जो दिनांक–30.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत केस सहरसा महिला थाना कांड संख्या–04/2026 धारा–64(1), 62ए 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज है।

नियमित जमानत आवेदन चालित करते हुए आवेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि इस जमानत आवेदन के पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। उनका अग्रिम कथन है कि आवेदक अंकित कुमार झा के विरूद्ध पूर्व से एक कांड अपराधिक इतिहास के रूप में दर्ज है। आवेदक कृष्ण कुमार के विरूद्ध पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण ने कोई बलात्कार की घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण विद्यार्थी है और एक अच्छा परिवार से संबंध रखता है। आवेदकगण को फरार होने या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। उपरोक्त आधार पर इन्होंने आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना किए हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–140 / 2026
नियमित जमानत आवेदन संख्या–141 / 2026
(सहरसा महिला थाना कांड संख्या–04 / 2026)

–लगातार–

01.04.2026

अभियोजन कहानी का सारांश इस वाद की सूचिका x दिनांक–29.01.2026 को समय करीब 10.30 बजे सुबह में सदर अस्पताल,सहरसा गई और अपने नाम से डॉक्टर से दिखाने हेतु पर्ची कटवाये। डॉक्टर के देखने में समय लगता तो सूचिका अपना गर्लस स्कूल चली गयी। पुनः 11.40 बजे के आसपास जब सूचिका सदर अस्पताल,सहरसा आयी तो दादी को खोजने लगी तो दादी नहीं थी। तभी उसके पास एक अज्ञात लडत्रका आया जिसका उम्र करीब 22 वर्ष तथा रंग काला था जो हल्का नीला रंग का जैकेट एवं काला रंग का जिन्स पहना हुआ था, साथ ही काला रंग का टोपी एवं आसमानी रंग का मास्क पहने हुए था, बोला कि तुम्हारा ईलाज का पर्ची कट गया है सदर अस्पताल के पुराने बिल्डिंग में रखा हुआ है चलो मेरे साथ ले लो। जिसके बाद सूचिका को सदर अस्पताल के पुराने बिल्डिंग के एक द्वितीय तल्ला के पूरब दिशा में बाथरूम के पास ले गया। बाथरूम के सामने ही एक बड़ा सा कमरा था जिसमें 02 अज्ञात लड़का पूर्व से ही बैठे थे, जिसमें एक लडका उम्र करीब 24 वर्ष जो उजला रंग का जैकेट एवं काला रंग का जिन्स पहने हुए था तथा दूसरा लड़का उम्र करीब 25 वर्ष जो नीला रंग का जैकेट एवं दाहिना हाथ में लोहे का बलिया पहना हुआ था। जो लड़का सूचिका को साथ लेकर गया था वो अकेला पाकर दुपट्टा खींचने लगा एवं बलात्कार करने का प्रयास करने लगा, तो सूचिका चिल्लाने लगी तो आसपास अस्पताल के स्टाफ सब आये तो एक लड़का वहां से भाग गया एवं 2 लड़का को अस्पताल के स्ऑफ द्वारा पकड़ लिया गया लेकिन वो दोनों लड़के भी वहां से भाग निकले। जिसके बाद सूचिका द्वारा 112 पुलिस को फोन किया गया, जो सही सलामत घर पहुंचा दिये। सूचिका उक्त तीनों अज्ञात लड़का को पहचान सकती है। उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के कंडिका–02 में वादिनी का धारा–180 का बयान है। कंडिका–07 में साक्षी

नियमित जमानत आवेदन संख्या–140 / 2026
नियमित जमानत आवेदन संख्या–141 / 2026
(सहरसा महिला थाना कांड संख्या–04 / 2026)

–लगातार–

01.04.2026

संजीव कुमार, कंडिका–9 में साक्षी प्रणीत कुमार, कंडिका–10 में साक्षी रमण कुमार ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–17 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि तीनों संदिग्ध की संलिप्तता के बारे में कांड की पीड़िता(x) से बारी–बारी से सदर अस्पताल में लगे सी.सी.टी.विडियो के माध्यम से पहचान कराया तब पीड़िता द्वारा उक्त तीनों संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गयी एवं बताया गया कि इसी तीनों लड़को के द्वारा छेड़खानी किया गया था। कांड दैनिकी के कंडिका–40 में आवेदक अंकित कुमार झा का अपराधिक इतिहास निम्न है:–

1. नवहट्टा थाना कांड संख्या–207 / 2022 धारा–289,337,304ए भा.द.वि. के तहत दर्ज है। कडिका–48 में वादिनी का धारा–183 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें इन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–53 में पीड़िता का चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन निम्न है:–

victim and father only want to externalexaminelike x-ray and dental examiation for purpose of age determination. She donot want to any internal examinationso.I not commentas any injury allone body,

No.I- A mole on the left side corna of Lip(lower)

A/c to x-ray BRIJ HEALTH SERVICES (INDIa) r/c----

Bone age is between 17 to 20 yrs.

Dental examination 29.01.26

Opinion:- A/I to x-ray bone age between.

आवेदकगण के विरूद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्राप्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं लगाए गए आरोप की गंभीरता तथा वाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण को जमानत की सुविधा दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, काराधीन

रंजुला भारती
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–140 / 2026
नियमित जमानत आवेदन संख्या–141 / 2026
(सहरसा महिला थाना कांड संख्या–04 / 2026)

–लगातार–
01.04.2026

आवेदक / अभियुक्तगण 1. अंकित कुमार झा एवं 2. कृष्ण कुमार की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम